

राजस्थान सरकार



संशोधित पंजीयन प्रमाण पत्र

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक १५/३५/१९९७-९८

प्रमाणित किया जाता है कि इन्डलौड विद्या पीठ समिति

इन्डलौड जिला भुंज का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।



यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक १६ माह ३ सन् दो हजार दो को भुंज में दिया गया।

निकेतन

रजिस्ट्रार संजयपुर
भुंज (१९९८)